

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./147/2024

1. शंकर पुत्र सोहननाथ जाति कालबेलियां, निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लादू जाति बैरवा, निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. गजराज उर्फ रंगलाल पुत्र छगना जाति जाट निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. सांवरा पुत्र मगना जाति बैरवा, निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)


निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-11.02.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र नीमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 400 में दर्ज खसरा नम्बर 1561/2320 रकबा 0.15 और खसरा संख्या 1563/2319 रकबा 1.69 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.84 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

जमाबन्दी ग्राम नीमेड़ा के खाता संख्या 400 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र नीमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 400 में दर्ज खसरा नम्बर 1561/2320 रकबा 0.15 और खसरा संख्या 1563/2319 रकबा 1.69 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.84 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)